न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 04/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/7)

निर्णय दिनांकः– 13/6/2022

1. पेमादेवी पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी मोटोलाई हाल चक 19 पीबी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2021
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2021 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 19 पीबी के मुरब्बा नम्बर 169/58 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा में से किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा, 14 ता 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि मूल आवंटी जयराम पुत्र मंगलाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

30–03–1989 को खरीद की गई थी तथा उक्त बैयनामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 34 दिनांक 15–07–1992 अपीलांट् के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट् मौके पर 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अर्से–दराज से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर सरसों व ज्वार की फसल काश्त की जाती रही है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि भू–धारक होता है, के द्वारा अपीलांट् के हितों पर कुठाराधात करते हुए अपीलांट् के धारण की भूमि के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 05 बीघा के प्रत्येक किलें पर 02–02 बिस्वा रास्ता बिना किसी सक्षम आदेश के स्वीकृत कर रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट एवं 136 एलआर एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की धोषणा अपने नाम करवाने व रास्ते की प्रविष्टी को हटाने का कथन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा ना ही वह जनउपयोगी है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर बिना तनकीयात् कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र यह अंकित करते हुए कि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रास्ता सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। इस संबंध में उन्होनें कथन किया कि अपीलांट्/वादी द्वारा उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इस संबंध में संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य साबित है कि मौके पर रास्ता चालु नहीं है नाही उक्त रास्ते की कोई उपयोगिता ही है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्टस का किसी प्रकार से कोई अवलोकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया आदेश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के वादपत्र की गलत व्याख्या करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कारित की है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट की विधिवत खरीदशुदा भूमि है, जिस पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किला नम्बर 21 ता 25 में 02–02 बिस्वा रास्ते का अंकन किया गया है, जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि के बाबत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि तहसील खाजुवाला के चक 19 पीबी के मुरब्बा नम्बर 169/58 के किला नम्बर 21 ता 25 में कटान का रास्ता स्वीकृतशुदा है। जिसकी धोषणा का वाद अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उक्त रास्ते की भूमि की धोषणा अपने नाम से किये जाने की मांग की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट्/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रास्ता सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्/वादी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में असफल रहने पर ही अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के अनुसार अपीलांट्/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89, 92ए एवं 207 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वाके रोही खाजुवाला के चक 19 पीबी के मुरब्बा नम्बर 169/58 के किला नम्बर 21 ता 25 पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। उक्त गलत अंकन को हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि की धोषणा अपीलांट्/वादी के पक्ष में की जावे। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि चक 19 पीबी के मुरब्बा नम्बर 169/58के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है। उक्त खरीदशुदा भूमि के किला नम्बर 21 ता 25 की भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज भूमि है। अपीलांट् का यह कथन है कि उक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा नाही उक्त रास्ता जनउपयोगी है तथा यह रास्ता बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् स्वयं यह कथन करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये है कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा दिनांक 30–03–1989 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी तथा उक्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 34 दिनांक 15–07–1992 को दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट्/वादी तत्समय ही इस तथ्य से वाकिफ थे कि राजस्व रिकार्ड में किला नम्बर 21 ता 25 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज भूमि है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए रास्ते के अंकन हटाने की मांग तो की गई है, परन्तु यह तथ्य साबित नहीं कर पाये है कि उक्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अंकन किस आदेश के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि न्यायालय के समक्ष जब तक यह स्थिति सामने नहीं आ जाती कि उक्त अंकन किस आदेश के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में किया गया है, तब तक ऐसे अंकन को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के हटाये जाने का कोई आधार नहीं बनता है। अपीलांट्/वादी पर यह भार है कि वह न्यायालय के समक्ष चाहे गये अनुतोष के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करें, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्/वादी ऐसा करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में ही अपीलांट्/वादी का वादपत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर